राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः–प.14(60)गृह–10/2021 जयपुर दिनांकः– 30.12.2021

–:परिपत्र:–

यतः राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि लोककर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किये गये कृत्यों के संबंध में होने वाले वादकरण के संबंध में राज्य के प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में साक्षी होते है। लोक सेवकों को वर्तमान में पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थान पर न्यायालय मे साक्ष्य हेतु जाना पडता है, इससे राजकीय कार्य प्रभावित होता है एवं अनावश्यक व्यय भार भी राज्य सरकार पर आता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 30 जुलाई, 2021 को अधिसूचना जारी कर वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत साक्ष्य लिये जाने के सम्बन्ध में Rajasthan High Court Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 प्रकाशित किये है एवं उक्त नियम दिनांक 02.08.2021 को प्रभावी हुये है।

अतः राज्य के लोक सेवक न्यायालय में वादकरण (प्रकरणों) में Rajasthan High Court Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग कर साक्ष्य दें।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. महानिदेशक पुलिस राजस्थान/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/महानिदेशक (जेल)।
3. निदेशक वादकरण/निदेशक अभियोजन को प्रेषित कर अनुरोध है कि लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें कि साक्ष्य देने वाले अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वीडियो क्रान्फ्रेंस द्वारा साक्ष्य देने हेतु, संबंधित न्यायालय मे आवेदन किये जाने की स्थिति में, सुसंगत दस्तावेज स्कैन कर संबंधित अधिकारी को ई–मेल/वाट्सएप द्वारा उपलब्ध करवाये। ।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध)/ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स)।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव गृह (विधि)